SJIF Impact Factor - 5.54
E-ISSN 2582-5429

AKSHARA

Multidisciplinary Research Journal

Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
April - June 2021 Vol.02 Issue VI

Editor : Dr. Girish S. Koli, AMRJ
etails Visit To - www.aimrj.com

Akshara Publication

Akshara Multidisciplinary Research Journal

Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal

April-June -2021
Vol.02 Issue VI

Scientific Journal of Impact Factor (SJIF) Impact-5.54

TOGETHER WE REACH THE GOAL

International Impact Factor Services

International Society for Research Activity (ISRA)
Journal-Impact-Factor (JIF)

Digital Online Identifier-Database System

Akshara Publication

Plot No 143 Professors colony,
Near Biyani School, Jamner Road, Bhusawal Dist Jalgaon Maharashtra 425201

AMRJ

Akshara Multidisciplinary Research Journal

Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal

ISSN 2582-5429

April-June 2021 Vol.02 Issue VI SJIF Impact- 5.54

Sr.No	Title of the Paper	Author's Name	Page No.
15	हिंदी की प्रभा खेतान की आत्मकथा 'अन्या से अनन्या' एवं मराठी की स्नेहप्रभा प्रधान की आत्मकथा 'स्नेहांकिता' का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ. वसुंधरा उदयसिंह जाधव	69
16	राज्य एवं न्याय व्यवस्था का भारतीय चिंतन	अंचल सक्सेना	73
17	मानवाधिकार में पत्रकारिता की भूमिका	प्रा.डॉ.शेख शहेनाज अहेमद	78
18	सतना जिले में गोवंश आधारित व्यवसाय का विश्लेष्णात्मक अध्ययन	मोहम्मद आरिफ डॉ. विद्युत प्रकाश मिश्रा	81
19	साहित्यकार का सामाजिक दायित्व	डॉ. रमेश टी. बावनथड़े	86
20	सुशीलकुमार सिंह के नाटकों में चित्रित सामाजिक समस्या-जातिभेद	प्रा. डॉ. राजेंद्र काशिनाथ बाविस्कर	89
21	हिंदी भाषा के प्रचार में सोशल मीडिया का योगदान	नरेन्द्र सोनी	92
22	रविभाण सम्प्रदाय में गुरु की संकल्पना	डॉ. सुनीता शर्मा	95
23	मानवीकरण एवं नई शिक्षा नीति	डॉ. शीतल प्रसाद महेन्द्रा	102
24	रागदरबारी उपन्यास में मूल्य-विघटन	प्रा.कोलते नितीन विजयकुमार	108
25	बी.एड. पाठ्यक्रम में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व	मोनिका चौबे	111
26	राही मासूम रज़ा के उपन्यासों में चित्रित महानगर	रीता कुमारी देव	115
27	केदारनाथ अग्रवाल के काव्य में लोक संवेदना	डॉ. अनुपम गुप्ता	119
28	'बदलते रूप' नाटक में चित्रित पारिवारिक विघटन	प्रा. मीता पोपट साठे	124
29	कोविड-19 महामारी – परिवार पर प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (मुरैना जिले के अंबाह तहसील के संदर्भ में)	डॉ. रक्षा कम्ठान	126
30	बिहारी के काव्य में ज्योतिष चमत्कार	डॉ. पूर्णिमा अग्रवाल	131
31	डॉ. शंकर शेष के नाटक 'रक्तबीज' में मिथकीय प्रयोग	डॉ. दादासाहेब नारायण डांगे	134
32	वैश्वीकरण का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव	डॉ॰ अर्चना हजारिका	138
33	वैश्विकरण के सन्दर्भ में लोप होते राष्ट्र, राज्य और भारतीय ग्राम	डॉ. मोहसिन रशीद शेख	142
34	"राष्ट्र-प्रेम की अद्भुत धरोधर:आहुति"	श्री.रविंद्र पुंजाराम ठाकरे प्रो.डॉ.अनिता पोपटराव नेरे	148
35	प्रेमचंद के कथा सागर में सूक्तियों के मुक्ता - माणिक्य	डॉ. सुधा त्रिवेदी	151
36	स्वाधिनता आंदोलन में हिंदी पत्र-पत्रिकाओं की भूमिका	डॉ. कृष्णा प्रल्हाद पाटील	157
37	वेदों में मानसिक स्वस्थ्य	डॉ. विनोद श्रीराम जाधव	160

AMRJ
Akshara Multidisciplinary Research Jour
Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal
ISS
17
April-June 2021 Vol.02 Issue VI SJIF Impact- 5.5

मानवाधिकार में पत्रकारिता की भूमिका

प्रा.डॉ.शेख शहेनाज अहेमद
असोसिएट प्रोफेसर
हुतात्मा जयवंतराव पाटील महाविद्यालय, हिमायतनगर, ता.हिमायतनगर, जि.नांदेड

पत्रकारिता की परिभाषा पूरी तरह बदल चूकी है, ऐसा मेरा मानना है। उसे मानवधिकार मीडिया भी मानवाधिकार मीडिया में काम करनेवाले लोग सिपाही से कम नही होते। लोगों की मदत के लिए हमेशा तैयार गरीब, असहाय, बेसहारा, लोगों को मदत करना और उनके दु:खों को दूर करने का होता है। मानवाधिकार मीडि फार्म है जिसमें पत्रकार बंधूओं की समाज मे अपनी एक अलग पहचान बनाईहै।

आर. जे. विसेट के अनुसार "मानव अधिकार वे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है।" *(कैलाश मीना)* मानव बुद्धिमान एवं विवेकपूर्ण प्राणी है इसको कुछ ऐसे मूल तथा अहरणीय अधिकार प्राप्त होते है जिन्हें सामान्यता ''मानवाधिकार'' कहा जाता है।

''मानवाधिकार से अभिप्राय संविधन द्वारा प्रत्याभूत तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सम्मिलि न्यायालयों में प्रवर्तनीय व्यक्तियों के जीवन, स्वतन्त्रता, समानता एवं गरिमा से है।'' *(डॉ. कृष्ण मोहन माथुर* सर्वांगीण विकास के लिए उसके बौद्धिक तथा मानसिकता के लिए मीडिया की आवश्यकता और उसकी स्वतंत्र लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप मेंमीडिया अपनी भूमिका सुस्थापित कर रही है। उसको स्वतंत्रता निरपेक्ष नहींहै यह भी कर्तव्य और दायित्व है, उससे वह विमुख नहीं हो सकता।

न्यायमूर्ति पी.एप. भगवती ने प्रजातंत्र में सूचना के अधिकार को तीन प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण प्रथमप्रजातांत्रिक सरकार को दिन-प्रतिदिन के कामों में जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। द्वितीय यह कि जनता अधिकार सरकार में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, जिससे भ्रष्टाचार व निरंकुशता पर नियंत्रण होता है। तृतीय यह शक्ति जनता के हाथ में अन्तर्निहित होती है। सूचना का अधिकार जन शक्ति का मूल स्रोत है, इससे राज्य के भागीदारी बढ़ती है। (दे चैंजिंग डिस्कोर्स ऑन ह्यूमन राइट्स , रेखा चौधरी, पृ. 21)

उच्च न्यायालय के नियम अनुसार मीडिया दैनिक जीवन से जुडी, उजागर करना मीडिया का कार्य है. दायित्व यह भी है कि प्रकाशित समाचार, सत्य घटनाओं पर आधारित हो, यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि प्रकाशन योग्य है यह नही।' ऐसा इसीलिए आवश्यक है कि समाचारों से ही जनमत बनता है।

वैसे देख जाए तो मीडिया को अबाध स्वतंत्रता दी भी नही जा सकती ऐसा करने से समाज में अराजकता का माहोल पैदा हो सकता है। उसकी स्वतंत्रता उसके विभिन्न दायित्वों से बंधी हुई है समाज के प्रति कर्तव्य है, लोक व्यवस्था, शालीनता की रक्षा करना उसे बनाए रखना, मीडिया का अभिन्न दायित्व है। मीडिया की जब हम परिक्षण करते है तो यह पाते है कि जहिरिले से जहिरिले परिस्थिति के बावजुद मीडिया ने अपनी भूमिका, बखूबी ढंग से निभाया है और मानवाधिकारों की बहाली में अपना सफल योगदान दिया है। इतना ही नही स्वच्छंदता के परे भी काम किया है।

बदलते समय में तकनीकों के साथ पल भर में लोगों के पास पहुंचने कीएक व्यापक शक्ति एवं सरंचना सहि उत्तर दायित्वों एवं कर्तव्य समाज के प्रति अनेक प्रकार से बदल गए है। स्वतंत्रता के दौर में समाचार पत्रों पत्रिकाओं संगठनों का आपस में गहरा रिश्ता रहा जो आगे सतत बढ़ता रहा है। इसे लेकर यह भी कहा जा सकता है कि यही रिश्त साथ मानव अधिकारों के संदर्भ में और अधिक सबल हुआ है। वास्तव में हमारे देश में मीडिया को भूमिका सकारात्मक, उपदेशात्मक और उदाहरणात्मक रही है।

किसी भी देश के निर्माण में उसके विकास में पत्रकारिता की बहुत बडी भूमिका होती है। हमारा इतिहास पत्रकारिता की शक्ति को पहचानते हुए लोगों ने उसका उपयोग लोक परिवर्तन के लिए या अंग्रेजी शासन के दौरान

AMRJ

ISSN 2582-5429

Akshara Multidisciplinary Research Journal

Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal

April-June 2021 Vol.02 Issue VI SJIF Impact- 5.54

दासता से त्रस्त भारतीयों में देश भक्ति और उत्साह भरने में मीडिया तथा पत्रकारिता का बडा योगदान था। मानव अधिकारों को लेकर मीडिया कर्मी अत्यंत संवेदनशील है। जब कभी किसी राज्य में जनता के साथ अन्याय होता है। इस उत्पीडन की खबर तमाम पत्रिकाओं में प्रकाशित होती है। इसके प्रकाशित होते ही राज्य विधानसभा और संसद सदनों में इसपर लंबी बहास छीड जाती है। देश में आंदोलन और घटना प्रदर्शन का दौर शुरू होता है। परिणाम स्वरूप सरकार को भी ठोस कदम उठाने पडते है। इस संदर्भ में हम दिल्ली निर्भया कांड जैसे अनेक उदाहरण, हैद्राबाद में हुए प्रियंका रेड्डी कांड देखे जा सकते है। अत्याचार, बलात्कार सरकारी उदसीनता, न्यायालयों के निर्णय में देरी इत्यादी सभी घटनाओं को मीडिया लगातार उजागर कर रही है। जिनके खिलाफ समाज एक स्वर में बोलने लगा है।

जो लोग मीडिया पर कई बार यह आरोप लगा चुके है कि मीडिया अपना धर्म सही से निभा नही प रहा है, हमे यह सोचना चाहिए कि यदि मीडिया न होता तो क्या होता ? आज जो विकासात्मक चर्चाएँ हो रही है, उसकी सूचना के स्तर पर घटनाओं की जानकारी और मानवाधिकारों को हनन के मुद्दे जिस तेजी से प्रसारित हो रहे हैं, क्या वो इतनी तेजी से हमारे तक पहुंचे पाते, नही ना ? यानि कि यह पूरी तरह मान लिया जाए कि दुनिया मे जितना भी विकास हुआ है और जितने भी विवादास्पद मुद्दे है उन सभी को प्रमुखता से आगे बढ़ाने का कार्य हो, या अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने तथा जन-जन का मार्गदर्शन करने का कार्य सभी में आज मिडिया को प्रमुख भूमिका रही है। मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता तभी बनी रही है जब तक मीडिया अपनी भूमिका ढंग से निभाता रहेगा।

आज मीडिया ने अपनी अहमियत से सभी को परिचित करा दिया है। वर्तमान संदर्भ में मीडिया ने एक नई संस्कृति कह सकते है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के बाद आयोग और मीडिया के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया है। इस रिश्तों के स्वरूप आयोग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति और मानवाधिकारों के हनन से संबंधित समस्त संवेदनशील मामलों को समाचारों पत्रोंमें प्रकाशित किया जाता है। मीडिया की ताकत के आगे राजनेता, अभिनेता, उद्योगपति सभी महामानव सिर झुकाते है।

मानवाधिकारों के रक्षण में मीडिया की तरह ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसके समानांतर अपनी भूमिका निभा रहा है। जब भी आयोग में कोई शिकायत पहुंचती है तो इस संस्थान की भरकर कोशिश यही रहती है की शिकायत कर्ता की गसा को उन पहुंचाने का जो कृत्सित प्रयास हुआ है उसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपने अनिवार्य हस्तक्षेप से दुर करने में सफल रहा है। अभी तक हजारो मामले देश में मानवाधिकार हनन के ऐसे अजागर हुए है जो मिडिया की सकि‘यता के कारण सभी के सामने आ सके और जिन्हें स्वत: सज्ञान में लेकर उस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी और से कडी कार्यवाही की है।

मीडिया को लेकर कुछ नकारात्मक पहलू भी दिखाई देते है। आज बाजारवाद व स्वार्थवश मिडिया अपनी जिम्मेदारी भूलता जा रहा है। समाचार पत्रों में मानवाधिकारों के हनन के नाम पर सिर्फ पुलिस हिरासत और जेल में होनेवाली गति विधियों एवं मौतों की खबरे ही अधिकांश रूप से प्रकाशित कीजाती है। परंतु मानवधिकार हनन की घटनाओं को यह स्थान नही मिल पाता है जो मिलना चाहिए। समाचार पत्रों की अपेक्षा इलेक्ट्रानिक मिडिया मानवाधिकारों को हनन से संबंधित घटनाओं को अधिकाधिक रूप से मुखरित कर रहा है। हाल ही में जब देश में ही नही सारी दुनिया में कोरोना जैसी महाबीमारी ने अपने पैर कैला दिए तब कोरोना जैसी बीमारी को मीडिया ने सांप्रदायिकता का रूप दे दिया। विशेष एक वर्ग को निशाना बनाकर मिडिया कर्मी तरह-तरह की बाते करने लगे। मिडिया को आज अपने अधिकारों से वंचित लोगो के अधिकारों की रक्षा के मुद्दो पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। कई मामलों में देखा जाता है की मीडिया अपनी भूमिका को नजर अंदाज कर केवल अपनी रेटींग बढ़ाने में लग जाता है, जो अनुचित है। मीडिया और प्रेस को जो स्वतंत्रता मिल रही है, लेकिन अनेक बार मीडिया कर्मी स्वतंत्रता के नाम पर मनमर्जी करते है लाइव कवरेज और टी.आर.पी. बढाने के लिए सारी हदे पार कर देते है। जो अनुचित है, सनसनी फैलाने के लिए यह देश की सुरक्षा को भी दाव पर लगाने से नही चुकते। तवज्जों दी जाती है। मीडिया के इस रवैये को पुलिस अब अपनाने लगी है। वजह है कि निम्न वर्ग पर हुए अपराधिक मामलों आज भी थाने में आसानी से दर्ज नही होते। बलात्कार को मामूली छेडछाड का रूप दिया जाता है। साथ ही साथ मामला रफा-दफा किया जाता है। न्यायिक प्रकि‘या भी कई बार मीडिया ट्रायलों से प्रभावित हो जाती है।

आज का मीडिया स्वाधीनता आंदोलन के दौर से विपरित है। मीडिया व्यावसायिक लोगों के हाथों बीक चुका है। समाचार टेलीविजन चैनल के लिए बडी पूंजी दरकार होती है। बडी पूंजी के कारणमीडिया अपने मालिकों तथा विज्ञापन दाताओं

ISSN 25[illegible]

AMRJ

Akshara Multidisciplinary Research Journal

Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal

April-June 2021 Vol.02 Issue VI SJIF Impact- 5.54

के हितो की बात करता है। यदि वह चाहता तो रोजगार अधिकार से जुडी खबरों को बताता या फिर जन[illegible] लडनेवाले मेधा पाटकर व अरूणा रॉय की बात करता पर मीडिया इनको न दिखाकर शिल्पा शेट्टी, शेरावत [illegible] बॉलीवूड से जूडी नशेली बाजी का बार-बार बात करता रहेगा।,यह इस प्रवृत्ति का द्योतक है कि व्यवसाय और [illegible] मीडिया तेजी से अपने समाज और मानव अधिकार उन्मुख सरोकारो को खोती जा रही है। उसकी सामाजिक [illegible] हिनता में बदलती जा रही है। मीडिया को मानवाधिकारों के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु अनेक [illegible] सामना भी करना पडता है। मिडिया एक तरफ आतंकवादी या असामाजिक तत्वों की बात करता हैं तो दूसरी [illegible] अधिकार जैसे मुद्यों की रिपोर्ट प्रकाशित करने पर सुरक्षा बलों की नाराजगी झेलता है।

कभी-कभी ऐसा प्रतित होता है कि पुलिस के अधिकारियों और सेना के जवानों को पत्रकारों अपनी आँख [illegible] लगने लगे है। पूलिस के असहयोगात्मक रवैये के कारण भी मीडिया अपनी सशक्त भूमिका निभाने में असमर्थ [illegible] जबकि मानवाधिकारों के संरक्षण का प्रमुख दायित्व पुलिस पर ही है। परंतू विडंबना यह है कि मानवाधिकार के [illegible] आए दिन घटती रहती है। मीडिया के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है। कुछ राज्यों में तो पुलिस प्राथमिकी [illegible] कठीन कार्य है। इसी कारण मीडिया और पुलिस में तनाव चलता रहता है। परिणामस्वरूप मानव अधिकार हनन [illegible] प्रकाश में नही आ पाती है।

भूमंडलीकरण के इस दौर में मीडिया की भूमिका, उसका भौतिक आकार प्रकार तेजी से बढ़ा है लेकीन [illegible] तरह निष्पक्ष तथा निर्विकार और तटस्थ नही कहा जा सकता है, क्यों कि मीडिया, व्यापार और राजनिति का एक [illegible] घनिष्ट संबंध है। मीडिया की भूमिका तभी सार्थक हो सकती है। जब उसका स्वामीत्व और प्रबंधन जनतांत्रिक [illegible] मानवाधिकारों का संवर्धन करनेवाला है। लेकिन मिडिय से जुडे लोगों को ही मानवाधिकारों की विस्तृत जानकारी [illegible] यह कि मानवाधिकारों की जानकारी मीडिया के लिए जरूरी है। मिडिया को चाहिए की वह अपने स्वार्थो को [illegible] जिम्मेदारी निभाते हुए समाज को एक दिशा प्रदान कर सकता है। मीडिया सकारात्मक खबरों से परहेज न करें। [illegible] बुराई को दिखाने की बजाएँ विकास को भी बतलाए। ताकि आम आदमी निराश न हो। मानवीय संवेदना एवं मानव [illegible] संरक्षण के प्रति मीडिया अपनी भूमिका को ईमानदारी के साथ निभाएँ।

AMRJ

संदर्भ सुची :-

1) मानव अधिकार का अर्थ, परिभाषा और रक्षा की आवश्यकता, [illegible] https://www.kailasheducation.com/2020/01/manavadhikar-ka-arth-paribhashaavashyakta.html

2. चौधरी, रेखा द चैंजिंग डिस्कोर्स- ऑन ह्यूमन राइट्स, पृ. 21

3. *भारत में* मानवाधिकारडॉ - . *कृष्ण मोहन माथुर पृ.18*

4. डॉ. महेंद्र कुमार मिश्रा : भारत में मानव अधिकार - आर.बी.एस.ए.पब्लिशर्स